

# भारत में कितने प्रकार के इन्शुरन्स होते हैं? How many types of insurance in India

© [continuegyan.com/how-many-types-of-insurance-in-india](http://continuegyan.com/how-many-types-of-insurance-in-india)

आज के इस ब्लॉग-पोस्ट **How many types of insurance in India** में बताऊंगा कि इन्शुरन्स/बीमा कितने प्रकार के होते हैं और इन्शुरन्स लेने के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। आजकल लगभग सभी लोग इन्शुरन्स कराते हैं, अपनी बाइक का, कार का, घर का, मोबाइल का यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों का भी इन्शुरन्स कराते हैं।

इन्शुरन्स कंपनी के एजेंट्स लोगों पर काफी दबाव बनाते हैं कि वे कोई पॉलिसी खरीद ले तो तो ऐसे में ये जानना बहुत जरुरी हो जाता है कि आखिर इन्शुरन्स होता क्या है?



सरल शब्दों में कहें तो इन्शुरन्स या बीमा का मतलब होता है किसी कंपनी के द्वारा आपके हुए नुकसान, एक्सीडेंट या मृत्यु पर आपको या आपके परिवार को आर्थिक सहायता देने की गारंटी।

बीमा का सीधा मतलब होता है आपके किसी भी नुकसान का भरपाई करना, जैसे अगर आपने अपना जीवन बीमा कराया हुआ है और आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जीवन बीमा कंपनी आपको हुई नुकसान का भरपाई करती है जिसमें Disabled या अपंग हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर या कोई साधारण सा एक्सीडेंट हो जाने पर आपको कुछ पेमेंट दी जाती है जिसकी राशि आपके बीमा पॉलिसी पर सिर्फ़ करती है।

जितने ज्यादा रकम की आपकी बीमा पॉलिसी होती है उतना ही ज्यादा आपको कवर मिलता है। आजकल लगभग हर एक चीज़ का बीमा होने लगा है हर एक चीज़ की अपनी अलग पॉलिसी होती है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको नुकसान होने पर कितने नुकसान की भरपाई दी जाएगी ये सबकुछ पॉलिसी के हिसाब से बताया जाता है।

अगर आप अलग-अलग कंपनियों के पॉलिसी को चेक करना चाहते हैं तो आप [Policybazaar](#) की वेबसाइट पर जाकर किसी भी कंपनी की बीमा पॉलिसी को चेक कर सकते हैं और दूसरी कंपनी के पॉलिसी के साथ Compare भी कर सकते हैं।

## इन्शुरन्स कितने तरह के होते हैं?

इन्शुरन्स कई तरह के होते हैं और सभी के प्लान्स और पॉलिसी भी अलग-अलग होते हैं। सबसे पहला होता है जीवन बीमा (Life Insurance) जो भी व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार या उसने जो भी Nominee चुना है उसको उसके Claim की पेमेंट रूल के अनुसार, पॉलिसी के हिसाब से दे दी जाती है।

इस तरह के इन्शुरन्स लोग अपने परिवार के लिए ही कराते हैं ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाता है, तो उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता हो जाये और तत्काल उन्हें पैसों की किल्लत से गुजरना ना पड़े।

## मेडिकल/हेल्थ इन्शुरन्स (Health Insurance)

मेडिकल इन्शुरन्स में एक तय की गयी राशि जमा की जाती है और अगर उस आदमी को जिसने ये पॉलिसी ली है, उसे कोई बिमारी हो जाती है तो उसका सारा खर्च इन्शुरन्स कंपनी उठाती है। ये पॉलिसी काफी जरूरी होती है क्योंकि किसी भी इंसान की हेल्थ हर साल में कभी न कभी खराब हो ही जाती है।

इस तरह के पॉलिसी में कंपनी हर साल रेगुलर चेकअप का भी खर्च देती है, आजकल खाने पिने की वजह से तबीयत खराब हो जाना ये एक आम बात होती है और अगर आपके पास हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी है तो आप मेडिकल के खर्च से बच सकते हैं। मेडिकल में दवाइयों का खर्च और अगर ऑपरेशन होता है तो उसका खर्च भी शामिल होता है।

## ऑटो इन्शुरन्स (Auto Insurance)

आजकल लगभग हर किसी के पास मोटर साइकिल, बाइक या कार है जिसका इन्शुरन्स कराना काफी जरूरी होता है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो उस वक्त इन्शुरन्स कंपनी आपको अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए या दुर्घटना के खर्चों को पूरा करने के लिए Claim देती है।

कुछ गाडियों के लिए 3rd पार्टी बीमा भी किया जाता है जिसमें गाड़ी चलाने वाले ड्राईवर या फिर पैदल चलने वाले लोग भी बीमा Claim कर सकते हैं। इस तरह का बीमा बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हम इतना मेहनत करके पैसे जमा करके कोई गाड़ी खरीदते हैं और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए अलग से पैसे चाहिए होते हैं ऐसे में अगर आपने अपनी गाड़ी का इन्शुरन्स कराया हुआ है तो पूरा खर्च इन्शुरन्स कंपनी देती है।

## होम इन्शुरन्स (Home Insurance)

होम इन्शुरन्स में आपके घर की बिल्डिंग, आपके सामान के अनुसार पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें बीमा कंपनी घर और सामान दोनों चीजों के नुकसान होने पर या किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने पर आपको Claim देती है।

अगर आपके घर में आग लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपका सामान चोरी हो जाता है या किसी भी तरह की कोई और दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी आपको Claim देती है।

## ट्रेवल इन्शुरन्स (Travel Insurance)

---

अगर आप travelling यात्रा काफी ज्यादा करते हैं, फैमिली के साथ कहीं आते जाते ही रहते हैं तो ट्रेवल इन्शुरन्स करना आपके लिए काफी जरूरी होता है। अगर आप कहीं सफर पर जाते हैं और कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसकी भरपाई इन्शुरन्स कंपनी करेगी।

## फसल बीमा (Crop Insurance)

---

यह बीमा सिर्फ किसानों के लिए बनाया गया है और किसानों को इसे हर फसल के लिए जरुर करवाना चाहिए क्योंकि मौसम का कभी कोई भरोसा नहीं होता है कि कब आपकी फसल पर कोई आपत्ति आ जाये।

अगर आप अपनी फसल का बीमा करवा लेते हैं तो आप बिना कोई वित्ती किये खेती कर सकते हैं अगर बारिश या फिर किसी और कारण से आपकी फसल खराब हो जाती है तो बीमा कंपनी आपको हुई नुकसान का भरपाई करती है।

## पालतू बीमा (Pet Insurance)

---

यह बीमा आप अपने घर के किसी भी पालतू जानवर का करवा सकते हैं अगर आप अपने घर में गाय या भैंसे पालते हैं तो उनका भी बीमा करवा सकते हैं और अगर आप कोई कुत्ता या बिल्ली पालते हैं तो उसका भी बीमा करवा सकते हैं।

इन सब के बाद भी कई सारे इन्शुरन्स और होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क के लिए भी इन्शुरन्स कराया जाता है और विवाह का भी इन्शुरन्स कराया जाता है।

## इन्शुरन्स कराने के फायदे (Pros of Insurance)

---

लोग इन्शुरन्स इसीलिए करवाते हैं ताकि अगर उनका कोई नुकसान हो तो कंपनी उसकी भरपाई करे, जिस चीज़ का भी इन्शुरन्स कराया जाता है वो अगर खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है तो इन्शुरन्स कंपनी उसकी भरपाई करती है।

इसी तरह से अगर आप लाइफ इन्शुरन्स करवाते हैं और आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके परिवार के पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता है, उस Condition में लाइफ इन्शुरन्स काफी फायदेमंद होता है।

इसी तरह से अगर आपके पास कार या बाइक है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में जितना भी नुकसान होता है उसकी भरपाई इन्शुरन्स कंपनी करती है।

Vehicle Insurance आमतौर पर दो तरह के होते हैं एक 3rd पार्टी इन्शुरन्स और एक फुल पार्टी इन्शुरन्स। 3rd पार्टी इन्शुरन्स में आपकी कार या बाइक से जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है कंपनी उसको Claim देती है, और फुल पार्टी इन्शुरन्स में आपकी बाइक या कार और ड्राईवर को भी शामिल किया जाता है। इन्शुरन्स लेने का एक फायदा ये होता है कि पॉलिसी के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं तो वह इनकम टैक्स फ्री होता है।

## इन्शुरन्स कराने के नुकसान (Cons of Insurance)

---

जहां इन्शुरन्स लेने के काफी सारे फायदे होते हैं वहीं इन्शुरन्स लेने के कई सारे नुकसान भी होते हैं सबसे पहला नुकसान ये है कि पॉलिसी के स्वत्म होने तक आपको पैसे देने पड़ते हैं तभी आप Claim कर सकते हैं।

दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं यानि पॉलिसी को आप वापस करना चाहते हैं तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे जितने आपने दिए हैं।

तीसरा नुकसान ये है कि लाइफ इन्शुरन्स में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं यानि अगर आपने कोई लाइफ इन्शुरन्स लिया है और बाद में कभी आपका मूड बदल जाता है और आप लाइफ इन्शुरन्स को वापस करना चाहते हैं तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे।

अगर आपने मेडिकल या हेल्थ इन्शुरन्स कराया हुआ है तो आपको उसको हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा यानि अगर आपने एक साल के लिए मेडिकल या हेल्थ इन्शुरन्स करवा लिया है और आपको उस साल कोई भी बिमारी नहीं हुई है तो आप कुछ भी claim नहीं कर पाएंगे और आपने जो भी पैसा खर्च किया है इन्शुरन्स लेने में वो बेकार हो जायेगा।

इसी तरह से आपको दोबारा से वही मेडिकल या हेल्थ इन्शुरन्स लेना पड़ेगा क्योंकि पहला वाला एक साल में समाप्त (Expire) हो चुका होता है। **How many types of insurance in India/बीमा कितने प्रकार के होते हैं पोस्ट पसंद आने पर Share जरूर करें। ..**

---

Copyright 2020 | [Continue Gyan](#)